न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 103/2017

1. मेजरसिंह पुत्र निक्की पुत्री चंदसिंह पत्नी अंग्रेजसिंह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली हाल आबाद रावला तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
2. नायबसिंह पुत्र निक्की पुत्री चंदसिंह पत्नी अंग्रेजसिंह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली हाल आबाद रावला तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरपालसिंह पुत्र निक्की पुत्री चंदसिंह पत्नी अंग्रेजसिंह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली हाल आबाद रावला तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
4. जगदीप कौर पुत्री निक्की पुत्री चंदसिंह पत्नी अंग्रेजसिंह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली हाल आबाद रावला तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. दर्शनसिंह
2. मेजरसिंह
3. जसवीरसिंह
4. परमजीत कौर
5. निक्कडी
6. काकडी

पिसरान गुरदेव सिंह पुत्र चंद सिंह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

7. हरजिन्द्रसिंह
8. राजेन्द्रसिंह

पिसरान जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी ढींगावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

9. रणदीप कौर पुत्री गुरमीतसिंह जटसिख निवासी ढींगावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. दलजीतकौर पत्नी दर्शनसिंह जटसिख निवासी ढींगावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।
12. पंजाब नेशनल बैंक शाखा श्रीगंगानगर।

28/6/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

13. इलाहाबाद बैंक शाखा श्रीगंगानगर।

14. केनरा बैंक शाखा श्रीगंगानगर।

15. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रीको श्रीगंगानगर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर दिनांक 24.07.2017

उपस्थिति:-

श्री ओमप्रकाश बतरा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री दिनेश छाबडा, अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 से 6
श्री सुशील बिश्नोई अभिभाषक रेस्पों. सं. 13
श्री मुकेश कुमार अभिभाषक रेस्पों. सं. 14
श्री महावीर धारणीयां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88, 91, 53, 188, 92ए का पेश किया। उक्त वाद में दिनांक 18.07.2012 को अप्रार्थी/प्रतिवादीगण ने एक प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी में क्लेम के आधार पर वादिया का स्वयं का तथा उसकी माता का हिस्सा बनता है। इसलिए क्लेम के मध्यनजर रखते हुए वादिया को क्लेम के आधार पर बंटवारे व घोषणा का वाद स्वीकार किये जाने का अनुतोष चाहा है। वाद पत्र के साथ जो जमाबन्दी व दस्तावेज पेश किये हैं उससे स्पष्ट है कि खातेदारी अधिकार गुरदेव सिंह को प्राप्त हुए हैं और राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार वादिया न तो इस भूमि की खातेदार है और न ही गुरदेवसिंह की आराजी में किसी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। वादिया का वाद बाडबाई लॉ है व कोई वाद हेतुक नहीं होने से वाद खारिज किया जावे।

वादी/अपीलांट ने उक्त प्रा.पत्र का जबाब पेश कर कथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा जबाब दावा पेश नहीं किया गया है। जबाब दावा पेश करने के

28/6/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपरांत उस पर तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेने के उपरांत ही दावे का निर्णय किया जावे। अतः प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जावे।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 24.07.2017 को प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2014 को प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी अस्वीकार कर दिया, फिर पुनः प्रा.पत्र को अपीलाधीन आदेश के जरिये स्वीकार कर वाद को खारिज करने में अधी. न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अधी. न्यायालय को चाहिए था कि दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकियात कायम कर उन पर साक्ष्य लेने के पश्चात ही निर्णय करना चाहिए था। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने 2014 डी.एन.जे. पेज 341, आर.आर.टी. 2013(1) पेज 685, आर.आर.टी. 2012(1) पेज 198, 2014(2) डी.एन.जे. पेज 459 , आर.आर.डी. 2014 पेज 162, डी.एन.जे. 2014(1) पेज 260 का हवाला दिया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी को वाद में वादकरण प्राप्त नहीं था। मौजूदा मामला में रेस्ज्युडीकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पों. ने 2015(2)सीसीसी(एस.सी.) पेज 513, 2003 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 107, 2015(2)सीसीसी(दिल्ली उच्च न्याया.) पेज 61, 1964 ए.आइ.आर.(एस.सी.) पेज 993, 2003 आर.बी.जे. पेज 278 की नजीरें पेश की।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

28/6/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि पूर्व में दिनांक 28.05.2014 को प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया गया। फर्दअहकाम दिनांक 28.05.2014 में यह अंकित किया गया है कि चुकि प्रश्नगत कृषि भूमि वादिया के पिता चंदसिंह को भारत पाक विभाजन के बाद बतौर क्लेममेंट तथा बाद में नॉन क्लेममेंट के रूप में आवंटित की गई थी तथा चंद सिंह की मृत्यु के पश्चात चक 5 एच.एच. में 25 बीघा भूमि आवंटित की गई जिसका कब्जा न मिल पाने के कारण चक 6 एल. एल. में 25 बीघा भूमि आवंटन की गई तथा नॉन क्लेममेंट आवंटित भूमि में वादिया किस स्तर तक हिस्सेदार है अथवा नहीं, का विनिश्चय विवाद्यकों के निर्धारण उपरांत साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही किया जा सकता है जिसके विनिश्चय हेतु वादिया द्वारा वाद पत्र धारा 88, 91, 53, 188, 92ए राज.काश्त.अधि. के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है जिसके श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय को उपलब्ध है। इस प्रकार आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। इसके पश्चात अधी. न्यायालय ने इस निर्णय के विपरीत इसी आधार पर, इसी विधि के तहत पूर्व के निर्णय दिनांक 28.05.2014 को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। तदानुसार अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण हाजा में दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर, उन पर पक्षकारों की साक्ष्य संग्रहित कर गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/6/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर